न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी—श्री देवी सिंह (R.A.S)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/17	06.02.2024	14.08.2024

उनवान

सुनीता देवी पुत्री री हरिकिशन मीना पत्नि श्री कमलेश जाति मीना आयु करीब 44 साल निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर

—— वादी

बनाम

1. हरिकिशन पुत्र दोला जाति मीना आयु करीब 75 साल
2. रमेश चन्द पुत्र हरिकिशन जाति मीना आयु करीब 35 साल निवासीयान रसीला परसादी का बास ग्राम दुब्बी तहसील राजगढ जिला अलवर
3. लाडबाई पुत्री हरिकिशन पत्नि महेश चन्द जाति मीना आयु करीब 40 साल निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर
4. पूजा पुत्री हरिकिशन पत्नि रामस्वरूप जाति मीना आयु करीब 30 साल निवासी मीना नंगला गंज खेडली जिला अलवर
5. तहसीलदार साहब कम सब रजिस्टार साहब मालाखेडा (अलवर)

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितिः—

1. श्री देवेन्द्र प्रधान वकील वादी
2. श्री पीसी मीना वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वकील वादी ने वाद पेश किया। वाद के विचाराधीन रहते हुये प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया कि प्रार्थीनी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध विवादित आराजीयात मे हिस्सा प्राप्ति हेतु वाद पेश किया है। वादनी जाति से मीणा है और प्रतिवादीगण भी जाति से मीणा है। मीणा जाति पर रूढी नीति व सामाजिक रीति रिवाज लागू होते है। मीणा समुदाय मे सम्पत्ति मे पुत्री को अधिकार प्रदान नही किये हुये है। वादनी का विवाह प्रतिवादीगण द्वारा लगभग 25—26 साल पूर्व बडी धुमधाम से किया गया था। जिस विवाह मे प्रतिवादीगण द्वारा अपनी हैसियत से बढकर दान दहेज दिया गया था। तथा समय समय पर वादनी की रूपये पैसे से मदद करते है व आज भी करते चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त हम प्रतिवादीगण ने सामाजिक रीति रिवाज व भारतीय संस्कृति अनुसार वादनी के बच्चो के भॉत पेज भरे है। वादनी विवादित आराजी के किसी भी अंश व हिस्सा पर कभी काबिज नही रही है। वादनी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 मीणा जाति है। तथा हिन्दु उत्राधिकार अधिनियम की धारा 2 के प्रावधान मीणा जाति पर लागू नही होते है। मीणा जाति मे महिलाओ को सम्पत्ति मे अधिकार प्राप्त नही होते है। मीणा जाति मे बेटी की शादी हो जाने पर हिन्दु अविभाजित

उपखण्ड़ अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

वार (एचयूएफ) का भी हिस्सा नही माना जाता है। वाद विधि द्वारा वर्जित है इसलिये वादनी का न्यायालय हाजा मे चलने योग्य नही होने के कारण काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 म 11 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वादनी का वाद पोषणीय नही होने के कारण मय हर्जा र्ची खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब नही देते हुये सीधे ही स करने का कथन किया। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादी ने जो दावा पेश किया यो 88, 188 मे पेश किया है। ऑर्डर 7 रूल्स 11 का बिन्दु सं0 2 को पढा जिसमे वादी प्रतिवादी पुत्री है। जिसकी शादी हो चुकी है। ओर 25 या 30 साल शादी हुये हो चुके है। ऑर्डर 7 रूल्स बिन्दु सं0 3 पर हिन्दु विधि लागू नही होती है। जिसके संबंध मे कानून पेश कर दुगा। मीणा ज की लडकिया जो होती है जब तक अविवाहित होती है तब तक उन्हे उतराधिकार मिलता है। न शादी के बाद पैतृक सम्पति मे हिस्सा नही मिलता वादी के पिता की वाद मे वर्णित आराजी की खरीदी हुई है। वादी जीवित है। मै मेरी भूमि को किसी को भी दे सकता हुँ। यदि मै मर ा हुँ तो आप हिस्सा मांगती भाईयो से लेकिन मेरे जीवित रहते आपको कोई हक नही बनता है। विधि विरूद्ध है। दावा चलने योग्य नही है। वाद खारिज किया जावे।

रिवीटल प्रतिवादी का कथन है कि इनका अब कब्जा नही है। दावे के बिन्दु सं0 3 अवलोकन करे। बिन्दु सं0 4 व 5 का अवलोकन करे। आप के कथन व बहस विरोधाभासी है। जो रूलिंग पेश की है विरासत का जो इन्तकाल खुलता है उसमे पुत्रियों को हिस्सा नही मिलता आपने इसका कोई जवाब नही दिया। पिता के मर जाने पर मिलता तो मै अभी जीवित हुँ ऑर्डर ल्स 11 किस आधार पर लगाई है मेरे प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल्स 11 के बिन्दु सं0 3 को देखे। विधि द्वारा वर्जित है। सैक्शन लिखा जाना आवश्यक नही है। प्रतिवादी सं0 3 मेरी पुत्री है। वो नही लाई मेरी तीन पुत्रिया है। मेरा ऑर्डर 7 रूल्स 11 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

न वादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रतिवादी ने वाद की भूमि को वादी के पिता की स्वंय त सम्पति बताया है। जबकि ये सम्पति स्वंय अर्जित नही है। उनको उनके पिता से मिली है। दादाजी की भूमि थी। यदि दादाजी जीवित होते तो यह जमीन हमे मिल जाती और हमारे नाम ाती। हमारे पति सरकारी सर्विस करते थे। पहले हम यहाँ थे तो हमारे हिस्से को जोतते बोते ाद मे बम्बई चले गये। अब भूमि इनके कब्जे मे है। हमारी शादी मे इन्होने कोई दान दहेज नही है। इसलिये हमे मुकदमा लाना पडा। यदि तुम्हारी खरीद की जमीन होती तो अधिकार लागू होते। ये पैतृक भूमि है। पत्रावली का अवलोकन कर सकते है। जमाबन्दी देखे। इसमे कई धिकारी है। यदि उतराधिकार अधिनियम लागू नही होता तो यह जमीन किसी को भी नही ो। श्री बाई बनाम पानबाई नजीर मे देखे। पिता की खरीद की भूमि थी। इसलिये दावा खारिज गया है। मीरा बनाम गणेश 1966 आरआरडी पेज 71 इस पर लागू नही होती है। ये इसलिये नही होती है क्योकि ये जमीन दो उतराधिकारियों मे पहले ही ट्रासफर हो चुकी है। इनके ऑर्डर ल्स 11 का अवलोकन करे। ऑर्डर 7 रूल्स 11 मे सबक्लॉज का अंकन नही किया। इनकी प्रेयर खे। इनका प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अपने पिता की विवादित आराजी मे से अपना 1/5 हिस्से का अनुतोष चाहा गया है। वकील ादी द्वारा कथन किया है कि मीणा जाति मे विवाहिता पुत्री का किसी प्रकार का हिस्सा नही है। वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे 2011 (2) आर.आर.टी 765 बोर्ड ऑफ

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

मेन्यु फॉर राजस्थान अजमेर बउनवान वाद भौरी व अन्य बनाम जगदीश व अन्य रिवीजन एलआर म्बर 3359/जयपुर ऑफ 2008 निर्णय 17 मार्च 2011 पेश किया। जिसमे माननीय न्यायालय ने तिपादित किया है कि **Under Section 2 of Hindu Succession Act, After Re-arrige Widow Have No right in tha property of former husband and arried daughter has also no right in ancestral land of the father** प्रस्तुत वाद पूर्णतः चस्पा होती है। इसी प्रकार आर.आर.डी सितम्बर 2006 पेज 580 मूलचन्द बनाम मंगली व य मे प्रतिपादित किया है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान मीणा जाति के क्तियो पर लागू नही होते है। क्योकि इन प्रावधानों को मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू करने के ध मे राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नही की गई है। उपरोक्त चन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नही होने पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत ा है।

अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार ा जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नही होने पर खारिज किया जाता है

देवी सिंह
(R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

आंज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

देवी सिंह
(R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

संशोधन :— दिनांक 2-9-2024 →

निर्णय दिनांक 14-8-2024 में उनवान मे प्रतिवादी सं. 2 का नाम रमेशचन्द पुत्र हरिकिशन के स्थान पर सुरेशचन्द पुत्र हरिकिशन पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)